फा0 सं0 28–2/2013–एनआई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
0000

5वां तल, पं0 दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–3
दिनांक 01 अगस्त 2018

विषयः– देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर महाविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना ।

वित्तीय सहायता योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जो देश के पूर्वोत्तर के एक सहित निम्नलिखित पांच अंचलों में मौजूदा बधिर महांविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है:–

i) भारत के उत्तरी अंचल में बधिर ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन महाविद्यालय
ii) पश्चिमी अंचल में बधिर महाविद्यालय
iii) दक्षिणी अंचल में बधिर महाविद्यालय
iv) मध्य अंचल में बधिर महाविद्यालय
v) पूर्वी अंचल में बधिर महाविद्यालय

2. **योजना के उद्देश्यः**

योजना का उददेश्य देश के उपर्युक्त पांच अंचलों में मौजूदा बधिर महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । यदि, योजना के तहत अनुदान–सहायता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले उपयुक्त महाविद्यालय नहीं पाए जाते हैं, तो विभाग योजना के तहत एक अंचल में अनुदान–सहायता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने वाले दो बधिर महाविद्यालयों की पहचान करने में ढ़िलाई बरतेगा । यह योजना मूलतः श्रवणबाधित छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने और उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा उच्चतर शिक्षा के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता जीवन जीने के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 29.01.2015 को अनुमोदित की गई थी तथा 29.12.2017 को इसमें 2017–18 से 2019–20 तक की अवधि के लिए संशोधित परिवर्तन किए गए।

3. **योजना/नियमावली/शर्तें:**

i) इस योजना की परिकल्पना देश के पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक में केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित राज्य/केन्द्रीय/केन्द्र शासित प्रदेश अभिशासित मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को वित्तीय सहायता देना है ।

ii) योजना के तहत प्रत्येक मामले में बुनियादी ढांचे का विस्तार, फर्नीचर/उपकरण/साज–सामान की खरीद के लिए अधिकतम सहायता 1.50 करोड़ रूपए तक सीमित है । यदि, व्यय 1.50 करोड़ रूपए से कम है, तो स्वीकार्य सहायता वास्तविक लागत पर दी जाएगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में अधिकतम सहायता 2.00 करोड़ रूपए है । यदि, उठाया गया व्यय 2.00 करोड़ रूपए से कम है तो सहायता वास्तविक लागत पर दी जाएगी ।

iii) योजना के तहत शिक्षण स्टाफ और संकेत भाषा दुभाषिए के वेतन के भुगतान की प्रतिपूर्ति के रूप में आवर्ती खर्च के संबंध में, अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रूपए या वास्तविक आधार के अनुसार पर तय की गई है । सिक्किम या अथवा अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा प्रायोजित महाविद्यालयों के मामले में अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रूपए या वास्तविक आधार पर तय की गई है । आवर्ती व्यय के लिए यह अनुदान प्रारंभ में केवल दो वर्षों अर्थात् 2018–19 और 2019–20 के लिए होगा ।

iv) प्रस्तावित/मौजूदा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदक संस्थान/महाविद्यालय का सभी कानूनी अड़चनों से मुक्त भूमि का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। यदि जमीन पटटे पर ली गई है तो पटटा विलेख की अवधि 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

v) विभाग योजना के तहत महाविद्यालय स्थापित करने के लिए देश के पांच क्षेत्रों के इच्छुक संस्थानों से आवेदन आमन्त्रित करेगा । सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकार के माध्यम से जमा होंगे और उन पर संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकार की संस्तुति का होना आवश्यक होगा । योजना के लिए उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी अंचलों के अंतर्गत निर्दिष्ट पांच अथवा पांच से अधिक ऐच्छिक पाठ्यक्रम और पश्चिम अंचल के महाविद्यालय के लिए डिजिटल मीडिया, ग्राफिक डिजायन, फोटोग्राफी और रंगमंच कला से दो या दो से अधिक पाठ्यक्रमों पर फोक्स करते हुए कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के इच्छुक महाविद्यालय आवेदन करने के पात्र होंगे ।

vi) भवन परियोजना हेतु सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय निम्नलिखित सदस्यों के साथ भवन समिति का गठन करे: –

क. महाविद्यालय का प्राचार्य/शिक्षक – प्रभारी
ख. सम्बद्ध विश्विद्यालय का एक प्रतिनिधि ।
ग. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/निगम आदि (अधिशासी अभियन्ता के पद से नीचे का नहीं) ।
घ महाविद्यालय के शिक्षकों से दो प्रतिनिधि
ड. उपयोगकर्त्ता – शिक्षण विभाग से एक प्रतिनिधि
च प्रशासन और लेखा प्रभाग से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि

छ. महाविद्यालय द्वारा नियुक्त वास्तुकार । ऐसे व्यक्ति/अथवा वास्तुकार फर्म वास्तुकार परिषद से पंजीकृत होने चाहिए ।

vii) भवन समिति प्रस्तावित महाविद्यालय के भवन की योजना और आकलन को अन्तिम रूप देने और अनुमोदित योजना और आकलन के अनुसार भवन–निर्माण पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी । इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र सरकार और महाविद्यालय के अपने संसाधनों से प्राप्त धनराशि के उचित उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होगी ।

viii) निर्माण कार्य धनराशि जारी होने की तिथि से 01 वर्ष में पूरा होना चाहिए और हालांकि स्वीकृति पत्र में दी गई निर्धारित अवधि में स्वीकृत की गई सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और भवन परियोजना की निगरानी/प्रगति का उत्तरदायित्व राज्य/केन्द्र शासित सरकार पर होगा ।

ix) केन्द्रीय सहायता से महाविद्यालय भवन परियोजना प्रारंभ करने की भवन समिति की प्रतिबद्धता के बाद, संबंधित संस्थान/महाविद्यालय प्रस्ताव को विभाग (केन्द्रीय सरकार) के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ राज्य/केन्द्र शासित सरकार के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करेंगे:–

(क) भवन समिति की संरचना

(ख) महाविद्यालय का नाम, परियोजना का नाम, भवन का प्रकार, वर्ग मीटर में निर्मित क्षेत्रफल, प्रति वर्गमीटर लागत, आकलन का आधार, नवीनतम अनुसूचित दरें, प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के पूरा होने की अवधि, निर्माण कार्य आरम्भ करने की संभावित तारीख, निर्माण का तरीका अर्थात् राज्य पीडबल्यूडी/सीपीडबल्यूडी या महाविद्यालय द्वारा ही या ठेकेदार/निजी निर्माण एजेंसी के माध्यम को दर्शाते हुए भवन समिति संकल्प की एक प्रति संकल्प पर समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होंगे ।

(ग) प्राचार्य और अर्हता प्राप्त अभियन्ता/वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विस्तृत आकलन । अर्हता प्राप्त अभियंता/पंजीकृत वास्तुकार द्वारा विधिवत रूप से तैयार और हस्ताक्षर की गई भवन योजना और प्राचार्य/शिक्षक प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भवन योजना प्रमाण–पत्र ।

(घ) श्रवणबाधित छात्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित कक्षाएं/पाठ्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा ।

x) राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के माध्यम से संस्थानों/महाविद्यालयों से विभाग में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी और ये प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे । स्क्रीनिंग समिति की संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

संयुक्त सचिव (डीडी)	–	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडबल्यूडी)	–	सदस्य
निदेशक, एवाईजेएनआईएचएच	–	सदस्य
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
निदेशक/उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	–	सदस्य–सचिव

xi) स्क्रीनिंग समिति इन सभी प्रस्तावों की छानबीन करेगी ।

xii) सचिव (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)के अनुमोदन के बाद स्वीकार्य सहायता जारी कर दी जाएगी/ आवेदक संस्थान/महाविद्यालय को मंजूरी सूचित की जाएगी ।

xii) अनुदान–सहायता की मांग करने वाले सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकार के माध्यम से जमा कराने होंगे और उन पर संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकार की संस्तुति की आवश्यकता होगी । वित्तीय सहायता की कुल अधिकतम सीमा 1.50 करोड़ रूपए और 2.00 करोड़ रूपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र) करना प्रस्तावित है, अतः राज्य/केन्द्र शासित सरकार नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को संस्तुत नहीं करेगी ।

xiv) केन्द्रीय सरकार महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रशासन बोर्ड अथवा किसी अन्य समकक्ष निकाय के किसी अधिकारी को इसके प्रतिनिधि के रूप में नामांकित कर सकती है जो भारत सरकार में निदेशक/उप सचिव के पद से नीचे नहीं होना चाहिए । संबंधित महाविद्यालय पर ऐसे नामित अधिकारी को प्रशासन बोर्ड (या समकक्ष) की सभी बैठकों में आमंत्रित करने की जिम्मेदारी होगी।

xv) सहायता प्राप्त महाविद्यालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की लिखित अनुमति के बिना इस योजना के तहत प्रदान की गई सहायता के उपयोग से सृजित सम्पत्तियों को नहीं बेचेगा या पटटे पर नहीं देगा या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाएगा ।

xvi) सहायता प्राप्त महाविद्यालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना महाविद्यालय के आकार या मूल स्वरूप में बदलाव नहीं करेगा ।

xvii) सहायता प्राप्त महाविद्यालय को सभी आवश्यक सहायक यंत्रों/उपकरणों और संकेत भाषा दुभाषियों के साथ प्रति वर्ष श्रवणबाधित छात्रों के लिए सभी स्नातक स्तर की कक्षाएं चलाना जरूरी होगा ।

xviii) योजना के तहत महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए, फिक्सचर, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि के लिए दी गई वित्तीय सहायता गैर–आवृत्ति और पूंजी के स्वरूप में होगी ।

xix) सहायता प्राप्त महाविद्यालय के खातों की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षा की जाएगी और सहायता प्राप्त महाविद्यालय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में वित्तीय विवरणिका सहित वार्षिक रिपोर्ट जमा करना जरूरी होगा । वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से निर्माण कार्य, उपकरण/फर्नीचर, फिक्सचर, कम्प्यूटर आदि की खरीद के ब्यौरे और वर्ष के दौरान अलग–अलग विषयों, कक्षाओं में पढ़ाए गए छात्रों के ब्यौरे के साथ–साथ श्रवणबाधित सफल छात्रों के ब्यौरे भी शामिल किए जाएंगे ।

xx) सहायता प्राप्त महाविद्यालय को केन्द्रीय सहायता से खरीदे गए उपकरण/सम्पत्तियों का एक निर्धारित सम्पत्ति रजिस्टर कायम करना जरूरी होगा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किसी भी समय पर सत्यापन करने के लिए अनुदान राशि के इस्तेमाल द्वारा फैकल्टी सदस्यों, संकेत भाषा दुभाषिएं स्टाफ और प्रशासकों को किए गए वेतन/भत्तों के भुगतान के ब्यौरे कायम रखते हुए अलग रिकार्ड रखना आवश्यक होगा ।

xxi) बधिर महाविद्यालयों को चलाने के लिए फैकल्टी, स्टाफ आदि की आवश्यकता, जिसके के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता मानकों/भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत पंजीकरण के मानकों के अनुरूप होगी । वित्त–पोषित किए जा रहे संस्थानों में पाठयक्रमों और फैकल्टी के ब्यौरे छात्र फैकल्टी के अनुपात सहित परियोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग और संस्थानों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुए हस्ताक्षर के अनुसार होंगे ।

xxii) महाविद्यालय के लिए स्वीकृत धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग करने में असफल होने, या इसके दुरूपयोग, गबन या कर्त्तव्य –विमुखता की उपर्युक्त किसी एक या अधिक स्थितियों के मामले में सरकार सम्पूर्ण सहायता धनराशि ब्याज सहित वसूल करने की हकदार होगी, इसके अतिरिक्त जो भी आवश्यक समझे, अन्य कानूनी और/या दण्डात्मक कार्रवाई करने की हकदार होगी ।

xxiii) महाविद्यालय/संस्थान योजना के तहत अनुदान–सहायता के लिए आवेदन करते समय उनके वास्तविक और वित्तीय निष्पादन के आकलन के लिए अपने पिछले दो वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

xxiv) परियोजना के खातों को सही रूप में और अलग – अलग रखना होगा । उन्हें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए सदैव तैयार रखना होगा । उन्हें भारत के महानियंत्रक व लेखापरीक्षक के द्वारा उसके विवेक पर परीक्षण जांच के लिए भी खुला रखना होगा । लेखा जीएफआर प्रावधानों के अनुसार लेखा–परीक्षित कराए जाने के अधीन होगा ।

xxv) यदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अनुदान अनुमोदित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किस्तों के भुगतान को रोक सकती है और अपने लिए गए निर्णयानुसार पूर्व में दिए गए अनुदान की वसूली कर सकती है. ।

xxvi) संस्थान अपने कार्य में, विशेष रूप से भवन पर होने वाले व्यय के संबंध में, समुचित ढ़ंग से किफायती बनाने का प्रयास करेगा ।

xxvii) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भवन निर्माण–योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

xxviii) परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार नियमित अन्तरालों पर प्रस्तुत की जाएगी ।

xxix) संगठन इस योजना के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा और दूसरी किस्त के लिए आवेदन करने के समय पर आवश्यक दस्तावेज जैसे खाते का विवरण, लेखा–परीक्षित रिपोर्ट आदि को (समेकित और परियोजना के लिए) पूर्णरूप में एवं निर्धारित प्रारूप में जमा करेगा । हर प्रकार से पूर्ण लेखा–परीक्षित रिपोर्ट एवं (क) लेखा – परीक्षक की रिपोर्ट, (ख) बैलेंस सीट (ग) आय और व्यय विवरणिका (घ) मद–अनुसार व्यय विवरणिका (ड़) प्राप्तियां और भुगतान विवरणिका सहित अचल सम्पत्तियां, निवेश, मौजूदा परिसम्पत्तियों, मौजूदा देनदारियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खाते पर टिप्पणी तथा संगठन द्वारा लेखा–परीक्षा पर्यवेक्षणों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई की सभी सहायक अनुसूची शामिल की जाएंगी।

xxx) योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे संगठन/संस्थान जीएफआर–19ए में निर्धारित किए गए अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) जमा करेंगे । प्रारूप की प्रति अनुबंध–1 पर है ।

xxxi) आवेदक महाविद्यालय को समस्त भुगतान निश्चित रूप से केवल चैक/इलेक्ट्रोनिक अन्तरण के माध्यम से करना होगा और नकद रूप में नहीं करेंगे । ये सभी लेन–देन परियोजना के लेखा परीक्षित लेखों में विधिवत रूप से शामिल किए जाएं ।

xxxii) अग्रिम रूप में जारी की गई अनुदान–सहायता पर ब्याज–घटक को भी परियोजना के उपयोग हेतु लाया जाये और अनुदान–सहायता की अगली किस्त में समायोजित किया जाएगा ।

xxxiii) केन्द्रीय सरकार सहायता स्वीकृत/जारी करने से पहले, जो भी आवश्यक समझे, अन्य प्रकार की शर्तों को भी निर्धारित कर सकती है ।

xxxiv) यदि, योजना के तहत अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले महाविद्यालय अनुदान–सहायता प्राप्त करने हेतु उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो विभाग योजना के तहत एक अंचल में अनुदान–सहायता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने वाले दो बधिर महाविद्यालयों की पहचान करने में ढिलाई बरतेगा ।

xxxv)अग्रिम रूप में अनुदान–सहायता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय को आवश्यक बांड भी जमा कराना होगा ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए प्रस्तावित योजना की कुल लागत

चौदहवें वित्त आयोग अर्थात् 2018–19 से 2019–20 की अवधि के लिए योजना की कुल प्रेक्षेपित लागत निम्न सारिणी में दी गई है:–

व्यय की मद	2018–19	2019–20
मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे का उन्नयन/कार्यालय सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीदारी	**गैर–आवृत्ति लागतः अनुमानित कुल आवश्यकता 5.00 करोड़ रूपए है,** योजना के तहत प्राप्त हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों के अधीन । (दो अंचलों में महाविद्यालयों के लिए (1.5 रूपए X 2 = 3.00 करोड़ रूपए) और पूर्वोत्तर के महाविद्यालय के लिए 2.00 करोड़ रूपए) ।	**गैर–आवृत्ति लागतः अनुमानित कुल आवश्यकता 5.00 करोड़ रूपए है,** योजना के तहत प्राप्त हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों के अधीन । (एक अंचल के महाविद्यालय 1.50 रूपए X 1 = 1.50 करोड़ रूपए)
फैकल्टी/संकेत भाषा दुभाषियों के वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति	**आवर्ती लागतः अनुमानित आवश्यकता 1.00 करोड़ रूपए ।** आवर्ती धनराशि की आवश्यकता परिवर्तन के अधीन है और वर्ष में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है ।	**आवर्ती लागतः** स्टाफ और संकेत भाषा दुभाषियों के वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति की दिशा में **अनुमानित आवश्यकता 4.00 करोड़ रूपए ।** आवर्ती धनराशि की आवश्यकता परिवर्तन के अधीन है और वर्ष में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है।
कुल अनुमानित धनराशि की आवश्यकता (आवर्ती + गैर आवर्ती) ।	**6.00 करोड़ रूपए**	**5.5.0 करोड़ रूपए**

- **योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सीमा 1.5 करोड़ रूपए (शेष भारत) और 2.00 करोड़ रूपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र) है। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय को संस्थान या संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा ।**

बारहवीं योजना की प्रस्तावित योजना के तीन वर्षों अर्थात् 2014–15 से 2016–17 के लिए वित्तीय पहलुओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

अवधि	गतिविधियां	अनुमानित व्यय (रूपए करोड़ में)
2014–15	पांच महाविद्यालयों (प्रत्येक अंचल में एक अर्थात् उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, केन्द्रीय और पूर्व/उत्तर पूर्व क्षेत्र) के मौजूदा महाविद्यालयों के बुनियादी ढ़ांचे के विस्तार के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद, फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रत्येक मामले में 1.50 करोड़ रूपए, या वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित होगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र में (सिक्किम सहित) या अंडमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिकतम सहायता 2 करोड़ रूपए या वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, तक सीमित होगी । लागत का शेष 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्रया अण्डमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 10 प्रतिशत) संबंधित संस्थान/राज्य/ केन्द्रशासित सरकार/ गैर–सरकारी संगठन/ट्रस्ट/सोसायटी/स्वैच्छिक संगठन आदि से आना चाहिए ।	1.50x 4 = 6 करोड़ रूपए +2.00 करोड़ = **8.00** करोड़ रूपए ।
2015–16	महाविद्यालय द्वारा फैकल्टी /संकेत भाषा दुभाषियों के वेतन और भत्तों के भुगतान पर किए गए व्यय की लागत की प्रतिपूर्ति की दिशा में अनुदान सहायता प्रतिवर्ष प्रत्येक मामले में 1.00 करोड़ रूपए या वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो, तक सीमित होगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) या अण्डमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में महाविद्यालय के मामले में अनुदान सहायता 1.50 करोड़ रूपए या वास्तविक लागत का 90 % तक, जो भी कम हो, सीमित होगी। लागत का शेष 50% (पूर्वोत्तर क्षेत्र या अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के मामले में 10%) संबंधित संस्थान/राज्य/ केन्द्र शासित सरकार/गैर–सरकारी संगठन/ट्रस्ट/सोसायटी/स्वैच्छिक संगठन आदि से आना चाहिए ।	1.00 करोड़ रूपए x 4 + 1.50 करोड़ रूपए = **5.50** करोड़ रूपए ।
2016–17	– वही –	1.00 करोड़ रूपएx 4+1.50 करोड़ = 5.50 करोड़ रूपए

	कुल	19.00 करोड़ रूपए

❖ छात्रवृत्तियों पर वित्तीय पहलू तभी ज्ञात किया जाएगा जब लाभार्थी महाविद्यालय/संस्थान अभिज्ञात कर लिए जाएंगे और अनुमानित छात्रों की संख्या का कोई अनुमान प्राप्त कर लिया जाएगा ।

यह योजना वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014–15 से 2016–17 से कार्यान्वित की जाएगी।